न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 526/2023 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/554)

मदन पुत्र काडू जाति मीना निवासी ग्राम डिबस्या तहसील गंगापुरसिटी।

..............अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुरसिटी।

...............रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर मु0नं0 168/15 मदन बनाम सरकार निर्णय दिनांक 12.12.2015 (75 एल आर एक्ट) व तहसीलदार गंगापुर सिटी प्रकरण संख्या 71/2014 उनवानी सरकार बनाम मदन निर्णय दिनांक 03.09.2014 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री धर्मेन्द्रसिंह सोंलकी वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः– 12.02.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर कैम्प गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 12.12.2015 व तहसीलदार गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 03.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार गंगापुरसिटी ने आदेश दिनांक 03.09.2014 से अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म जमीन चारागाह पर सम्वत 2070 खरीफ में कुण्डा बनाकर पाश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्ट को वेदखल किया जाकर विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित कर 2 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। जिसकी अपील बहुत अदालत अति0 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष की गई। अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2015 पारित कर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते आदेश दिया कि वेदखली, शास्ती व अतिचारित रकबे को ध्वस्त करने का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण तहसीलदार, गंगापुरसिटी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे स्वयं मौके पर जाकर जांच करें कि यदि अपीलान्ट का अतिकमित आराजी पर वर्तमान फसल खरीफ में कब्जा रहा है अथवा नहीं। यदि बाद जांच अपीलान्ट का कब्जा नहीं हो तो अपीलाधीन निर्णय में पारित सिविल करावास की सजा को निरस्त समझे अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत रहेगा। अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 12.12.2015 के खिलाफ अपीलान्ट के द्वारा

यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि दोनों तहत अदालत तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पारित निर्णय दिनांक 03.09.2014 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित दिनांक 12.12.2015 रिकार्ड व तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण की वास्तविकता यह है कि हल्का पटवारी खानपुर बडौदा ने अपीलान्ट के विरूद्ध तहसील गंगापुरसिटी में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म चारागाह स्थित ग्राम डिबस्या पर अपीलान्ट ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर पानी के कुण्डे का निर्माण कर लिया है। इस पर तहसीलदार गंगापुरसिटी द्वारा एकतरफा में कार्यवाही करते हुये बेदखली के आदेश करते हुये अपीलान्ट को 60 दिन के कारावास से दण्डित कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर कैम्प गंगापुरसिटी के यहां धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में अपील पेश की थी। उक्त अपील में यह आदेश पारित हुआ कि सजा माफ मानी जावे तथा पत्रावली को तहसीलदार गंगापुरसिटी के यहां रिमाण्ड कर दिया गया। तहसीलदार गंगापुरसिटी ने बिना अपीलान्ट को सूचना दिये और बिना वर्तमान मौका देखे अपीलान्ट के विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर दिया। परीक्षण न्यायालय तहसीलदार गंगापुरसिटी ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि पत्रावली रिमाण्ड होने पर दर्ज रजिस्टर की जावेगी। उसके बाद अपीलान्ट को नोटिस जारी किया जाएगा, परन्तु तहसीलदार द्वारा बिना पत्रावली दर्ज रजिस्टर किये तथा अपीलान्ट को नोटिस जारी किये बिना सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना पुनः गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया है। उक्त वारण्ट जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने तक का मौका नहीं दिया गया है। इस प्रकार बिना सुनवाई का मौका दिये अपीलान्ट की सिविल कारावास की सजा को यथावत कर दिया जबकि रिमाण्ड होने पर अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाना आवश्यक था। इसी प्रकार अपीलाधीन आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के सरासर प्रतिकूल है। अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त तहत अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है यह आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसलिऐ खारिज योग्य है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट का उक्त पानी के कुण्डे से कोई लेना देना नहीं है, जो पानी के कुण्डे का जिक किया गया है'। वह जानवरों के पानी पीने के पूर्व से ही बना हुआ है ना तो उक्त कुण्ड अपीलान्ट का है और ना ही अपीलान्ट को उससे कोई लेना देना है। सिंचाई का तथ्य भी बेबुनियाद है क्यों कि वह केवल जानवरो के पीने का पानी है उससे सिंचाई नहीं हो सकती है और ना ही सिंचाई के लिये कुण्डे का पानी पर्याप्त है यह तो केवल जीव जन्तुओं के लिये पानी पीने के लिये पूर्व से बना हुआ है। पटवारी के द्वारा गलत रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश की गई थी। जिसके आधार पर तहसीलदार गंगापुरसिटी के द्वारा आदेश दिनांक 03.09.2014 पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा भी बिना रिकार्ड के अवलोकन किये तहसीलदार के निर्णय की पुष्टि की गई है, जो कि

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निरस्तनीय है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय दिनांक 03.09.2014 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। इस बाबत तहसीलदार गंगापुरसिटी की ओर से जारी गिरफ्तारी वांरण्ट की तामील करवाने हेतु दिनांक 08.09.2020 को आये तब जानकारी हुई। वर्तमान में उक्त रकबे पर न तो अपीलान्ट का कब्जा है और न ही कोई वास्ता ही है। उक्त रकबा मौके पर खाली पड़ा है, परन्तु तहसीलदार ने बिना मौका देखे ही वारण्ट जारी कर दिया। जबकि अपीलाधीन आदेश में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि बाद जांच कब्जा नहीं हो तो सिविल कारावास की सजा को समाप्त माना जावे तो जब अपीलाधीन आदेश की आज्ञा के अनुसार मौके पर किसी का कब्जा नहीं है और रकबा खाली पडा है तो फिर वारण्ट जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलाधीन आदेश की पालना किये जाने का काम तहसीलदार का है। वह अति0 कलक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 12.12.2015 की पालना में मौके पर जाकर देखते कि कब्जा हटा है या नहीं और वास्तविक मौका रिपोर्ट अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष पेश करते, किन्तु अपीलाधीन आदेश पारित होने के बाद मौके की वर्तमान रिपोर्ट से हर दो तहत अदालतें अनभिज्ञ रहीं है जबकि प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट के आधार पर जब कोई अतिक्रमण/कब्जा ही नहीं है, तो अपीलान्ट के खिलाफ वारण्ट जारी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इस आधार पर तहत अदालत के आदेश की ही अवहेलना हो रही है। वर्तमान में मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं होने के आधार पर हर दो तहत अदालतों के फैसला निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि पूर्व में उक्त रकबा खाली था, परन्तु अब मौके पर सरकारी चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन है। अपने कथनों की ताईद में वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 31.01.204 मय शपथ पत्र एवं फार्म नं0 3 के साथ मौके के फोटो पेश किये गये तथा तर्क दिया कि जब मौके पर विवादित भूमि में सरकारी स्वाथ्य केन्द्र निर्माणाधीन है तो अपीलान्ट का अतिक्रमण होने का तथ्य अनौचित्यपूर्ण है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा निर्णय दिनांक 03.09.2014 की जानकारी दिनांक 08.09.2020 को जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर दोनों तहत अदालतों तहसीलदार गंगापुर सिटी का आदेश दिनांक 03.09.2014 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 12.12.2015 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण इन निर्णयों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तहसीलदार गंगापुरसिटी ने आदेश दिनांक 03.09.2014 से अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म जमीन चारागाह पर सम्वत 2070 खरीफ में कुण्डा बनाकर पाश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्ट को वेदखल किया जाकर विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित कर 2 माह के सिविल कारावास के दण्ड से

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

दण्डित किया है। अपीलान्ट का यह कहना कि परीक्षण न्यायालय में सुनवाई का मौका नहीं दिया गया सरासर झूठ है परीक्षण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं पर स्वयं अपीलान्ट के हस्ताक्षर मौजूद है इसी प्रकार तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की पत्रावली की आदेशिकओं पर भी अपीलान्ट के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इसके अलावा स्वयं अपीलान्ट ने तहत अदालत में उपस्थित होकर अवगत कराया है कि अपीलान्ट ने ग्राम डिबस्या की आराजी खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.10 है0 किस्म चारागाह पर से अपना कब्जा हटा लिया है। मौके पर कोई कब्जा नहीं है तथा इस बाबत जांच करवाने हेतु निवेदन भी किया गया। इसके अलावा भविष्य में कोई अतिक्रमण नहीं किये जाने की सहमति भी जाहिर की है तो यह कहना की सुनवाई का मौका नहीं दिया गया गलत है। इसके अलावा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2015 के द्वारा यह आदेश दिये हैं कि बेदखली, शास्ती, व अतिचारित रकबे को ध्वस्त करने का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण तहसीलदार गंगापुरसिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि यदि मौके से अतिक्रमण हटा लिया गया तो सजा का आदेश निरस्त माना जावे और यदि कब्जा बरकरार हो तो सिविल कारावास की सजा को यथावत रखा जावे इसलिऐ अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.09.2014 व दिनांक 12.12.2015 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 05.10.2020 को अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.09.2020 को गिरफ्तारी वारण्ट की तामील करवाने हेतु आने पर होने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है, परन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट स्वयं निर्णय दिनांक 12.12.2015 को अदालत मातहत में उपस्थित रहा है। जिसकी पुष्टि अदालत मातहत की मूल पत्रावली पर अपीलान्ट के हो रहे हस्ताक्षरों से होती है। इसके अलावा भी अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में विवादित भूमि पर कब्जा नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया है। इसके अलावा तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा भी अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.12.2015 में दिये निर्देशों के क्रम में प्रकरण पुनः दिनांक 30.12.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया है तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने हेतु विधिवत नोटिस भी जारी किया है। जिसकी पालना में दिनांक 14.01.2016 को अपीलान्ट तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित भी हुए हैं। जिसकी पुष्टि तहसीलदार न्यायालय की अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली की आदेशिका पर हो रहे हस्ताक्षरों से हो रही है। अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार न्यायालय में दिनांक 14.12.2016 को शपथ पत्र भी पेश किया है। जिसमें यह स्वीकार किया है कि

उसके द्वारा विवादित भूमि पर अतिचार भू संरक्षण योजना के तहत एनिकट फसल करने के लिए सरकार से बनवाया है। तहसीलदार द्वारा पुनः पटवारी हल्का से मौका संबंधी रिपोर्ट तलब किये जाने पर दिनांक 18.04.2017 को पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि ग्राम डिबस्या के खसरा नंबर 1014 किस्म गैर मुमकिन चारागाह का मौका देखा गया। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि पर मदन पुत्र काडू का कब्जा है। मौका पर्चा पर गवाहान के हस्ताक्षर भी करवाया गया। इसके बाद अपीलान्ट को पुनः दिनांक 24.04.2017 व दिनांक 02.01.2019 को नोटिस जारी किया गया, परन्तु विवादित भूमि से कब्जा छोड़े जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय के संबंध में प्रारम्भ से ही जानकारी रही है तथा दोनों अदालत मातहतों में अपीलान्ट ने उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा में प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित यह तथ्य कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी गिरफ्तारी वारण्ट कराने की दिनांक 08.09.2020 को हुई है, को सही नहीं माना जा सकता है। अतः प्रथम तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद संबंधी बिन्दु पर ही चलने योग्य नहीं है और द्वितीय गुणावगुण के आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि दोनों अदालत मातहतों द्वारा अपीलान्टस को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जहां तक अपीलान्ट की ओर से वक्त बहस फार्म नंबर 3 के साथ प्रस्तुत सामुदायिक भवन निर्माण के फोटोग्राफस का प्रश्न है तो इससे यह कहीं साबित नहीं हो रहा है कि उक्त सामुदायिक भवन विवादित खसरा नंबर में ही बनाया गया है। इसके अलावा विवादित भूमि से कुण्डा को हटाये जाने या उक्त भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटित किये जाने के आदेश की कोई प्रति पेश नहीं की गई है। इसलिए इन फोटोग्राफस से भी किसी प्रकार का कोई अनुतोष अपीलान्ट पाने के हकदार नहीं हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.09.2014 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.12.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर